न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-499RAAJodhpur2022-303RTA225 Bhiyaram ors Vs Smt. Jaitee etc

01. भींयाराम गोदपुत्र श्री देवाराम
02. पारी उर्फ पारसी पत्नी श्री भींयाराम
जातियान् विश्नोई, निवासीगण- ग्राम मतवालों की ढाणी बाला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. श्रीमती जैती पत्नी श्री मिश्रीलाल फौत के कायम मुकामः -
   1.1. जंवताराम पुत्र श्री मिश्रीलाल
   1.2. बीरबलराम पुत्र श्री मिश्रीलाल
   1.3. शंकरलाल पुत्र श्री मिश्रीलाल
   सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- रावर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
   1.4. सीता पुत्री श्री मिश्रीलाल एवं पत्नी श्री मोहनराम, जाति विश्नोई, निवासीनी- भाणियां, तहसील सोजत, जिला पाली।
   1.5. सुरता पुत्री श्री मिश्रीलाल, पत्नी..... जाति बिश्नाई, निवासी- गुड़ा विश्नोईयान्, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. श्रीमती परमा उर्फ परमेशवरी पुत्री श्री जयकिशन, पत्नी श्रीराम, जाति विश्नोई, निवासीनी- मतवालों की ढाणी, बाला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
3. शोभाराम पुत्र श्री मानाराम
4. सीतादेवी देवी पत्नी शोभाराम फौत के कायम मुकामः -
   4.1. भजनलाल पुत्र श्री शोभाराम
   4.2. गुडिया पुत्री श्री शोभाराम
   4.3. बुलकी पुत्री श्री शोभाराम
   जातियान् विश्नोई, निवासीगण- मतवालों की ढाणी, बाला, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
   4.4. मीमा पुत्री श्री शोभाराम, पत्नी श्री प्रेमाराम सोऊ, जाति विश्नोई, निवासी- खेड़ीसालवा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
   4.5. संगीता पुत्री शोभाराम पत्नी श्री प्रकाश, जाति विश्नोई, निवासी- रामड़ावासकला, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

5. मेकाराम पुत्र श्री चौखाराम
6. रुघाराम पुत्र श्री चौखाराम
7. मंगलाराम पुत्र श्री चौखाराम
   सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- ग्राम मतबालों की ढाणी बाला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
8. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 15 नवंबर 2022 सहायक कलक्टर बिलाड़ा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2018 भींयाराम बनाम श्रीमती जेती इत्यादि

उपस्थित-

श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5
श्री शंकरसिंह जाखड़, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 4/1 से 4/5
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 08

नि र्ण य

दिनांक : 05 फरवरी 2025

अपीलांट्स ने सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2018 अनवान भींयाराम बनाम श्रीमती जैती इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 15 नवंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 24 नवंबर 2022 को प्रस्तुत की गई।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स नें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी प्रस्तुत कर अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 21 दिसंबर 2017 की पालना में वादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति बहाल किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 नवंबर 2022 के जरिये अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। धारा 144 सीपीसी आज्ञापक प्रावधान है, जिसकी पालना हर हालत में की जानी होती है। हस्तगत प्रकरा में भी जब निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.04.2017 अस्तित्व में नहीं रहा तो उसकी रूह में किया गया परिवर्तन अस्तित्व में कैसे रह सकता है। विचारण न्यायालय का मत है कि मूल वाद का पूर्णरूप से निस्तारण नहीं हुआ, इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा इस बिंदु पर गौर नहीं किया गया है कि प्रतिप्रेषित मामले में वही आदेश होगा जो पहले हुआ है, तो क्या राजस्व रेकर्ड पूर्व वाले आदेश के अनुरूप ही कायम रहेगा। निश्चित तौर पर इस तथ्य को समझने में विचारण न्यायालय द्वारा भारी भूल की गई है। विचारण न्यायालय का मत है कि माननीय राजस्व मण्डल से राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये है। इस संबंध मे निवेदन है कि धारा 144 के प्रार्थना पत्र पर किसी भी न्यायालय में रोक नहीं लगा रखी है। यह प्रार्थना पत्र अपने आप में मूल प्रार्थना पत्र के रूप में दर्ज है, जिसका निर्णय अलग से किया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 144 के प्रावधानों पर विचार किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 नवंबर 2022 को निरस्त फरमाया जावे एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी स्वीकार फरमाया जावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर.बी.जे(19)2012 पेज 456 न्यायिक नजीर पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में माननीय राजस्व मण्डल से राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये है। विचारण न्यायालय में मूल वाद अंतिम स्टेज पर विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ससम्मान परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा निगरानी संख्या 247/2022 अनवान जैती बनाम भीयाराम में पारित आदेश दिनांक 27.01.2022 के जरिये वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये है, जिससे माननीय मण्डल मे उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना विधिक प्रावधानों के विपरीत है।

अदालत हाजा विचारण न्यायालय के इस मत से सहमत है कि मौजूदा मूल वाद अंतिम निस्तारण के करीब है। इस कारण अनावश्यक प्रत्यास्थापन की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्व मण्डल के स्थगन आदेश से वादग्रस्त आराजी संरक्षित होने से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजों के आधार पर अपीलांट्स के अधिकारों पर किसी प्रकार का कुठाराघात होना संभाव्य नहीं है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य भिन्न होने से हस्तगत मामले पर लागू नहीं होते है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2018 अनवान भींयाराम बनाम श्रीमती जैती इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 15 नवंबर 2022 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर